संख्या-560/2025/आई/1139741/23-1-25/001-23-1002(002)/296/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बरेली मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 48 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **बरेली मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 48 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 39,56,90,000/- (रूपये उन्तालीस करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 13,84,89,000/- (रूपये तेरह करोड़ चौरासी लाख नवासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 बरेली	201178	अलीगंज सिरौली से अनिरूद्धपुर होते हुये हाफिजगंज मार्ग में मरम्मत/सुधार का कार्य	0.430	43.20	15.12
2	I/327666/2025 Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	227632	एस0एच0-126 खेड़ा बझेड़ा से पृथ्वीपुर रम्पुरा मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0, नाली व शेष भाग की मरममत का कार्य	1.383	63.81	22.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	I/327666/2025 Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	221079	कटरा जलालाबाद मार्ग से जौराभूड मार्ग पर आबादी भाग मे सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य	0.630	57.94	20.28
4	I/327666/2025 Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	220192	परौर से कुण्डरिया सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0, नाली निर्माण, रिटेनिगं वाल एवं शेष भाग की मरम्मत का कार्य	3.800	122.27	42.79
5	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	221036	जलालाबाद अल्लागंज मार्ग से समापुर बेलाखेडा सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग बेलाखेडा मे सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	0.650	66.72	23.35
6	I/327666/2025 Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	220929	बाढ से क्षतिग्रस्त जलालाबाद शमसाबाद मोहम्मदाबाद सौरिख विधुना मार्ग (राज्य मार्ग सं0-163) की मरम्मत का कार्य	0.32	104.60	36.61
7	I/327666/2025 Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	227829	मरथरा से तिरि सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग भुन्नीखेड़ा में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	0.400	73.89	25.86
8	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	190220	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में उसहैत कोरी कलां कटरा अटेना केशव नगला वर्नी नगला रमसी नगला मार्ग (अजिमा) के किमी 5(100), 9(050), 10(250), 12 (060) में सी०सी० का कार्य।	0.460	75.11	26.29
9	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	190811	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत बहबलपुर धीमर नगला मार्ग के किमी 4.8 से रैपुराखाम मार्ग पर किमी0 2 व 3 में क्रमश 17 मी0 एवं 20 मी0 रपटा का निर्माण कार्य।	0.080	99.30	34.76
10	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	190532	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में इकलहरा पथरामई मार्ग से जसवंत नगला मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	1.850	157.12	54.99
11	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.202 5	प्रा.ख. बदायूं	195277	वित्तीय वर्ष 2025-26 में गढिया रंगीन लालपुर खादर मार्ग से कटकौरा की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	113.48	39.72
12	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बरेली	200314	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बरेली में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत शाहपुर इनायतुल्ला चन्द्रपुर माफी सम्पर्क मार्ग का मरम्मत व सुधार कार्य।	3.500	58.15	20.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
13	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	UP21VR 1966	ग्राम तेजनगर से महताबनगर होते हुए जहानाबाद सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.400	42.81	14.98
14	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. पीलीभीत	218238	ठेका चैकी सम्पर्क मार्ग ग्रा0 मा0 के विशेष मरम्मत का कार्य	0.500	48.12	16.84
15	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. पीलीभीत	215575	दहगला मार्ग से भिकारीपुर वाया रम्पुरिया सिरसा मु0 सम्पर्क मार्ग ग्रा0मा0 में सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण के विशेष मरम्मत का कार्य	0.700	69.93	24.48
16	I/327664/2025 Dt. 01-11-2025	प्रा0खं0 पीलीभीत	210267	गांधी ग्राम से बिलगवां सम्पर्क मार्ग के किमी0 में विशेष मरम्मत का कार्य	1.000	88.41	30.94
17	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. शाहजहांपुर	220482	बीसलपुर पुवायॉ मार्ग से मदारपुर वैवाह सम्पर्क मार्ग के आबादी भागों में सीसी एवं नाली निर्माण का कार्य	0.700	71.44	25.00
18	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. शाहजहांपुर	220653	पुवायॉ नाहिल मार्ग से मरैना सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	72.36	25.33
19	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. पीलीभीत	210323	महादेव माती चतीपुर सम्पर्क मार्ग ग्रा0मा0 के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	138.81	48.58
20	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	210668	अमखेड़ा भगवन्तापुर काजरबोझी की मरम्मत का कार्य।	3.000	56.72	19.85
21	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. पीलीभीत	210007	ग्राम बिहारीपुर से ग्राम लालपुर स्कूल सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.470	55.53	19.44
22	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. पीलीभीत	210941	पीलीभीत बस्ती मार्ग से गजरौल शिवनगर सम्पर्क मार्ग ग्रा0मा0 के विशेष मरम्मत का कार्य	4.600	80.09	28.03
23	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 बदायूं	190269	बदायूं बिजनौर मार्ग से भतरी गोवर्धनपुर मार्ग के किलोमीटर 8 तथा 16 में रिटेनिंग वॉल निर्माण का कार्य	0.300	164.94	57.73
24	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 बरेली	201357	भमौरा ऑवला मार्ग से सैंधा दिलीपपुर मार्ग में मरम्मत/सुधार कार्य।	1.750	63.00	22.05
25	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बरेली	201548	ठिरिया निजावत खाॅ मार्ग से मनपुरिया दलेल मार्ग	1.850	205.90	72.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
26	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बरेली	200182	नरियावल बिथरीचैनपुर मार्ग से मेहतपुर करोर सम्पर्क मार्ग	4.000	140.77	49.27
27	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 बरेली	201120	देवचरा बल्लिया मार्ग से तख्तपुर मार्ग में मरम्मतध्सुधार कार्य	0.710	47.30	16.56
28	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	195746	बी0 एम0 मार्ग से बिसौली कछला मार्ग वाया पतरघटा पीरखदना ज्यौरा पारवाला मार्ग (अजिमा) के किमी0 1(250) धर्मपुर एवं किमी0 4(280) पतरघटा आाबदी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.530	73.79	25.83
29	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2 5	नि.ख.-2 बदायूं	191117	सहसवान ढाकपुरा मार्ग से खड़कवारी मानपुर पुख्ता मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.600	58.60	20.51
30	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	191008	बिसौली इस्लामनगर मार्ग से ऐपुरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 तथा नाली निर्माण का कार्य	2.650	69.67	24.38
31	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	190988	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित बिसौली इस्लामनगर मार्ग से नसरौल सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	1.500	49.05	17.17
32	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	190662	मितरौली से लघौली नसरौल सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0 सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.750	80.23	28.08
33	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	218049	इलाबाश देवस से किशनपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य। (दुर्गा पूजा फेस्टिवल से आच्छादित मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.200	53.38	18.68
34	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	UP21VR0200	बरेली बीसलपुर मार्ग के किमी0 31 से भैसठा जलालपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.230	79.46	27.81
35	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	-	बेनीपुर से खामघाट के मध्य माला नदी पर सेतु की पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य।	0.160	49.36	17.28
36	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	210710	अभयपुर चैना नक्टी सम्पर्क मार्ग पर विषेश मरम्मत का काय	2.050	56.15	19.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
37	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	210783	रसियाखानपुर से रायपुर सम्पर्क मार्ग का रपटुआ नाले से कटान का सुरक्षात्मक कार्य।	0.120	99.04	34.66
38	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	210587	फरीदपुर बीसलपुर मार्ग (अजिमा) पर मरम्मत का कार्य	0.450	51.38	17.98
39	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	210597	ईटगांव बमरौली मार्ग किमी0 6 में स्थित लघु सेतु की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	0.080	60.75	21.26
40	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 बरेली	200511	राष्ट्रीय मार्ग 530 से पैगानगरी गोरालोकनाथपुर बसन्तपुर होते हुये गुलडिया मार्ग (अ0जि0मार्ग) के चैनेज 8.190 से 9.535 तथा चेनेज 10.315 से 13.115 में मरम्मत/सुधार कार्य	4.150	359.02	125.66
41	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	190210	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कछला चौसिंगा पलिया ननाखेडा मार्ग ;अजिगाद्ध के किमी 10 में 1×4 मी० स्पान की पुलिया का कार्य	4.000	51.87	18.15
42	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	190836	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में ग्राम चुडिया से बमनौसी मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य	2.800	49.60	17.36
43	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. बदायूं	195672	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद बदायूं में जगत पतसा मार्ग से सलेमपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य ।	1.650	53.97	18.89
44	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	191258	बसपुर फिरोजपुर माग से फततनपुर ठप्पा हवेली मार्ग की छूटी कड़ी में मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0 सी0 एंव नाली निर्माण का कार्य	0.600	41.49	14.52
45	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	190995	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित करियामई से पुरदलपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	1.600	44.92	15.72
46	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	191101	सिरतौल से करनपुर सम्पर्क मार्ग के करनपुर आबादी भाग में आबादी भाग में सी0 सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	0.450	44.31	15.51
47	आई/303146/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. बदायूं	190266	सहसवान डकारापुख्ता टोडपुर करसरी मार्ग (अजिमा) के आबादी भाग में सी0 सी0 एंव नाली निर्माण का कार्य	0.400	70.87	24.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
48	आई/322485/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. शाहजहांपुर	226492	भारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त शाहबाजनगर से रज्जब नगर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.670	78.27	27.39
					कुल योग-	**3956.90**	**1384.89**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 13,84,89,000/- (रूपये तेरह करोड़ चौरासी लाख नवासी हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-560/2025/आई/1139741(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/296/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।